

न्यायालय:- अपर जिला जज गोहद जिला भिण्ड म०प्र०

समक्ष-डी०सी०थपलियाल

प्रकरण क्रमांक 15/15 वैवाहिक

संजीव कुमार सिंघई पुत्र स्व० श्री
किशोरीलाल आयु 32 साल धंधा
दुकानदारी, निवासी सदर बाजार वार्ड
क्रं००७ गोहद, जिला भिण्ड म०प्र०

-----आवेदिका

बनाम

श्रीमती रुचि पुत्री स्व० श्री अनिल कुमार
अग्रवाल, आयु 26 साल, धंधा गृहकार्य,
निवासी घेराघान दूधवाली गली, मकान
नं००४ घंटाघर फिरोजावाद उ०प्र०

-----अनावेदक

आवेदिका द्वारा श्री अशोक पचोरी अधिवक्ता

अनावेदिका द्वारा श्री के०सी०उपाध्याय अधिवक्ता

//नि र्ण य//

// आज दिनांक 07-10-2015 को पारित किया गया //

1- वर्तमान याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह के उभयपक्षकारों के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने वाबत् पेश किया गया है, जिसका कि निराकरण किया जा रहा है ।

2- उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत आवेदनपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि संजीव कुमार (जो कि आवेदन पत्र में आवेदक के रूप में वर्णित किया गया है) एवं श्रीमती रुचि (जो कि आवेदनपत्र में अनावेदिका के रूप में वर्णित की गयी है) (जिन्हें कि सुविधा की दृष्टि से पक्षकार क्रमांक 1 व 2 के रूप में वर्णित किया जायेगा) का विवाह दिनांक 11-7-13 को हिन्दू रीति रिवाज से सम्पन्न हुआ था । विवाह के उपरान्त अनावेदिका आवेदक के यहां रही । उभयपक्षकारों के वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक नहीं रहा तथा उनके बीच सम्बन्धों को लेकर

विवाद एवं झगडा होने लगा । इस कारण दोनों सन्तान से भी बंचित रहे हैं । ऐसी स्थिति में आवेदक का अनावेदिका के साथ जीवन निर्वाह करना असम्भव हो गया है । आवेदनपत्र पेश होने से करीब दस माह पूर्व से अनावेदिका अपनी मां के पास फिरोजाबाद में निवासरत है । दोनों पक्षों के मध्य आपसी सुलह समझौते के प्रयास भी रिश्तेदारों एवं समाज के गणमान्य नागरिकों के द्वारा किया गया किन्तु दोनों का साथ में रह पाना संभव नहीं हो पा रहा है । अनावेदिका ने अपना सम्पूर्ण सामान जो विवाह में दिया गया था वह प्राप्त कर लिया है तथा भरण पोषण की राशि भी प्राप्त कर ली है अब अनावेदिका का किसी प्रकार का भरण पोषण व विवाह में दिया गया सामान आवेदक पर शेष नहीं है । उभयपक्षकारों के आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद हेतु आवेदनपत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है तथा प्रार्थना की है कि आवेदकगण के हक में दिनांक 11-7-13 को सम्पन्न हुये विवाह को परस्पर सहमति के आधार पर विघटित करने की डिक्री पारित करने का निवेदन किया गया है ।

3- उभयपक्षकारों के द्वारा वर्तमान विवाह विच्छेद याचिका न्यायालय के समक्ष दिनांक 24-3-15 को पेश किया गया उसके उपरांत न्यायालय के द्वारा दिनांक 27-3-15, 26-6-15, 18-9-15, 28-9-15, के उपरांत आगामी तिथियां नियत की गयी । उपरोक्त याचिका के संबंध में पक्षकार क्रं01 संजीव कुमार एवं पक्षकार क्रं02 श्रीमती रूचि को न्यायालय के द्वारा पूछताछ की गयी और उनके कथन लेखबद्ध किये गये । पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार के समझौता, सुलह होने की संभावना से साफ तौर से इन्कार करते हुये उनके द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमती के आधार पर तलाक आवेदनपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है । धारा 13 ख हिन्दू विवाह के अन्तर्गत याचिका पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है ।

4- उभयपक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद याचिका के संबंध में विचार किया गया । पक्षकारों का हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार विवाह सम्पन्न होना तथा पक्षकार क्रं02 श्रीमती रूचि पक्षकार क्रं02 संजीवकुमार की विवाहिता पत्नी होना स्पष्ट है । आपसी सहमति के आधार पर उभयपक्षकारों के हस्ताक्षरित तथा फोटोयुक्त याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख)हिन्दू विवाह अधिनियम पेश किया गया है । उभयपक्षकारों के मध्य आपसी सुलह-समझौते होने की कोई संभावना नहीं है और न ही उनके साथ साथ रहने की भी कोई संभावना भी दर्शित नहीं होती है । उभयपक्ष करीब एक वर्ष से भी अधिक अवधि से अलग अलग रह रहे हैं । आवेदनपत्र पेश हुये 6 माह से अधिक समय व्यतीत हो चुका है । पक्षकारों के द्वारा यह व्यक्त किया गया कि विवाह के समय दान दहेज में दिया हुआ सभी सामान एवं सम्पूर्ण भरण पोषण पक्षकार क्रं02 को दे दिया गया है अब पक्षकार क्रं02 किसी

प्रकार का कोई भरण पोषण पक्षकार क्रं0 1 से प्राप्त भी नहीं करना है ।

5- विचारोपरान्त उपरोक्त सभी परिप्रेक्ष्य में उभयपक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत याचिका अन्तर्गत धारा 13(ख) हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करते हुये इस संबंध में उभयपक्षों की सहमति के परिप्रेक्ष्य में निम्न आशय की आज्ञाप्ति पारित की जाती है :-

1-आवेदक पक्षकार क्रं01 संजीव कुमार तथा श्रीमती रूचि पक्षकार क्रं02 के मध्य सम्पन्न हुआ विवाह दिनांक 11-7-13 आपसी सहमती के आधार पर बिच्छेदित किया जाता है ।

2-उभयपक्षकार वैवाहिक संबंधों से स्वतंत्र रहेंगे ।

3-उभयपक्ष अपना अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे ।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित

हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड

(डी0सी0थपलियाल)

अपर जिला जज गोहद

जिला भिण्ड